महत्वपूर्ण एवं खास

800 नग पाईवॉन स्पॉस प्लस नशीले कैप्सूल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। जिले की थाना कुसमुंडा पुलिस ने गुरूवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 800 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्शूल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी को खिलाफ धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा क्षेत्र में अवैध नशीली दवाई के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में थाना कुसमुंडा पुलिस ने गुरूवार को मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि प्रेमनगर के निवासी दिनेश कुमार जायसवाल एक झोला में रखकर नशीली मनोउत्तेजक कैप्सूल जो प्रतिबंधित है को आनंदनगर, प्रेमनगर में घुम घुमकर बिक्री कर रहा था कि सूचना पर टीम के द्वारा मौके पर घेराबंदी कर आरोपी से 100 स्ट्रीप में कुल 800 नग नशीली कैप्सूल पाईवान स्पास प्लस कैप्सूल कीमत 7200 रुपये को जप्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

आवागमन में बाधा पहुंचाने वाले तीन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। आजाद चौक पुलिस ने आमापारा चौक के पास आवागमन में बाधा पहुंचाने वाले तीन चारपहिया वाहन के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार आमापारा चौक के पास आवागमन में बाधा पहुंचाने वाले कार क्रमांक सीजी 04 पीई 9891 के चालक संकल्प गायधानी 32 वर्ष, कार क्रमांक सीजी 04 केएक्स 2248 के चालक आलोक कुमार मिश्रा 48 वर्ष व बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 04 पीसी 0463 के चालक सागर मण्डावी 31 वर्ष के खिलाफ धारा 283 के तहत कार्रवाई की है।

सर्पदंश से युवक की मौत

जौनपुर (आरएनएस)। सरपतहां थाना क्षेत्र के जहरूद्दीनपुर (भटौली) गांव में सर्पदंश से युवक की मौत हो गयी। उक्त गांव निवासी 40 वर्षीय बोधई पाल गुरुवार की रात धान की सिंचाई के लिए खेत में गया था,सिंचाई के दौरान खेत में विषैले सर्प ने उसे डस लिया। परिजन आनन फानन में उसे इलाज हेतु शाहगंज अस्पताल ले गये,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया,मृतक बकरी चराकर परिवार का भरण-पोषण पोषण करता था,पत्नी अमरीता का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए अन्त्यपरीक्षण हेतु भेज दिया।

आधा दर्जन बाइक के साथ दो गिरफ्तार

जौनपुर (आरएनएस)। शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की आधा दर्जन मोटर साइकिल के साथ दो अन्तर्जनपदीय बदमाषों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर बृजेष कुमार ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दो मोटरसाइकिल चोर उदल सरोज पुत्र चन्द्रपाल सरोज निवासी खेतलपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर व गोरे उर्फ अमजद अली पुत्र हैदर अली निवासी बरईपार थाना सिकरारा जनपद जौनपुर को सद्भावना पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे व निशानदेही पर छह चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उदल सरोज के खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है।

28 एवं 29 को होगा मतदान दलों का प्रशिक्षण

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान दलों के पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण प्रशिक्षण 28 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर 2023 को समय प्रात: 10 बजे से संध्या 5 बजे तक विद्या ज्योति हायर सेकण्डरी स्कूल जगदलपुर में आयोजित किया गया है। जिसमें सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 : वृद्ध, नि:शक्त एवं दिव्यांग मतदाताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएं

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और नि:शक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं नि:शक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णत: पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं नि:शक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सडक़ होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (क्क2ष्ठ) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोडऩे हेतु नि:शुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं।

प्राचार्य, प्रधान पाठक सहित अनुपस्थित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने निर्वाचन 2023 कार्य में संलग्न पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में शामिल नही होने पर नाराजगी व्यक्त करतें हुए कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 24 घण्टे के भीतर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने अन्यथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों के विपरीत मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी है । कलेक्टर द्वारा अश्वनी कांत व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली,श्री शिवराज भलावी मानचित्रकार भू-अभिलेख शाखा,श्री संजय जैन व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कन्या कोरबा,श्री रणधीर सिंह प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कन्या कोरबा,श्री संतकुमार पैकरा प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बरबसपुर, नीलु चंद्रा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीपका, डॉ. मयंक गोस्वामी पशु चिकित्सा शल्यज्ञ, रामायण सिंह मरावी उच्च वर्ग शिक्षक माध्यमिक शाला कन्या चैतमा, प्रदीप कुमार पटेल उप अभियंता मुख्य नगरपालिका अधिकारी पाली,श्री अनिल कुमार यादव उप अभियंता लोक निर्माण विभाग, रामसाय चौहान उच्च वर्ग शिक्षक माध्यमिक शाला भदरापारा, पवन कुमार राठौर व्याख्याता एल.बी. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मडवाढोडा पीठासीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह मतदान अधिकारी संजय सूर्यवंशी शिक्षक एल.बी.माध्यमिक शाला सतरेंगा,श्री कुशल प्रसाद उपाध्याय सहायक सहा. संख्यिकी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कृषि कटघोरा, साधराम कश्यप प्रधान पाठक प्राथमिक शाला रिसदिहापारा,श्री बाबूलाल राठिया प्रधान पाठक प्राथमिक शाला चारमार, सुमन शांति टैगोर व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोहडिग्रा,रेनु जैन व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक कटघोरा,श्री गोविन्द प्रसाद ताम्रकर शिक्षक एल.बी. माध्यमिक शाला कुदरीनाला ,श्री शशिकांत जायसवाल शिक्षक एल.बी. माध्यमिक शाला रंगोले,श्री ललित कुमार कंवर शिक्षक एल.बी. माध्यमिक शाला दौरीकलारी, राजेश कुमार देवांगन शिक्षक एल.बी.माध्यमिक शाला अण्डीकछार, सुरेन्द्र कुमार पाटले शिक्षक एल.बी. माध्यमिक शाला अण्डीकछार,श्री धरमलाल श्रीवास प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तिलैहापारा,श्री सीताराम साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला कर्रानारा,श्री बनाफर सिंह मरकाम प्रधान पाठक प्राथमिक शाला रंजना, मतदान अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी की अनुपस्थिति पर कार्यवाही की जाएगी।

चेकिंग के दौरान 2 किलो से अधिक चांदी के जेवर बरामद

कोरबा (आरएनएस)। जिले के हरदीबाजार पुलिस की टीम ने वाहन चेकिंग कबे दौरान बाइक सवार एक युवक से 2 किलो 200 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर पुलिस की टीम कसियाडीह-निरतू बलौदा मार्ग पर कसियाडीह बैरियर के पास सभी आने जाने वाले वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान निरतू बलौदा की ओर से एक व्यक्ति मोटर सायकिल में आया जिसे रोककर पूछताछ किया गया जिन्होने अपना नाम विनोद कुमार सोनी 48 वर्ष निवासी श्याम बाजार बलौदा का रहने वाला बताया और उसके मोटर सायकिल के डिक्की को चेक करने पर डिक्की में रखे चांदी के आभूषण 2 किलो 200 ग्राम जब्त किया है। जिसकी कीमत 1,58,400 रुपए है। जेवर के संबंध में बिल मांगने पर कोई बिल पेश नहीं किया। जिससे पुलिस ने धारा 102 के तहत कार्रवाई की है।

कृषि छात्रों ने किसानों को दिया मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण

राजनांदगांव (आरएनएस)। पं. शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय एवम अनुसंधान केंद्र, सुरगी (राजनांदगांव) के छात्र – छात्राओं के द्वारा मशरूम उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डा. प्रेरणा परिहार (पादप रोग विशेषज्ञ) के मार्ग दर्शन पर आदर्श ग्राम मोखला में किया गया छात्र– छात्राओं ने किसानों को मशरूम उत्पादन के चरणबद्ध विधि को आसान भाषा में बताया तथा मशरूम से होने वाले लाभों के साथ साथ में बाजार में इनकी बहुमल्यता के बारे में जानकारी दी। ताकि किसान मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त आय की पूर्ति कर अपनी आर्थिक स्तर पर सुधार ला सके । बेरोजगार युवाओं को खाली समय में मशरूम उत्पादन कर आय का साधन प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया ।

इस मौके पर किसान खोमलाल साहू,देवनाथ साहू, काशीराम साहू, शेषनारायण साहू, तथा सभी छात्र एवम छात्राएं ईशा हिरवानी, गौरव महोबिया, गौरव कौमार्य, घनश्याम सिंह, गिरजा निर्मल, हुमेश पटेल, खिलेश वर्मा, खुशबू ठाकुर, खुशी सिदार, किशन पटेल उपस्थित थे।

साथ ही साथ छात्र – छात्राओं ने मशरूम से बनने वाली विभिन्न उत्पाद जैसे – मशरूम का आचार , पापड़ , बड़ी , मशरूम पाउडर आदि के बारे में जानकारी दी जिसमे प्रचुर मात्रा प्रोटीन और विटामिन उपस्थित रहते हैं ।

पड़ोसी राज्यों से विक्रय के लिए आने वाले धान की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय जांच चौकियों में कलेक्टर ने लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी

❐ जिले में 16 अंतर्राज्यीय जांच चौकी स्थापित

महासमुंद (आरएनएस)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान ओड़िशा व अन्य पड़ोसी राज्यों से जिले में धान उपार्जन केन्द्रां में विक्रय के लिए आने वाले धान की रोकथाम एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा जांच चौकियों में धान उपार्जन समयावधि तक राजस्व, कृषि उपज मंडी समिति, पंचायत, वन एवं जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार होंगे।

कलेक्टर ने जांच चौकियों में पदस्थ कर्मचारियों को संबंधित जांच चौकी में उपस्थित रहकर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में धान के परिवहन पर सतत निगरानी रखने तथा अवैध परिवहन संचालन संबंधी अनियमितता पाए जाने पर मंडी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वाहन एवं धान जप्ती की कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है।

जिले में स्थापित कुल 16 अंतर्राज्यीय जांच चौकी के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के 16 धान खरीदी केन्द्रों पर निगरानी रखी जाएगी। जिसमें सरायपाली तहसील अंतर्गत पांच अंतर्राज्यीय जांच चौकी स्थापित किया गया है। इनमें वन विभाग द्वारा बंजारी जांच चौकी एवं पालीडीह/सिरपुर जांच चौकी तथा कृषि उपज मंडी सरायपाली द्वारा दो नवीन जांच चौकी पझरापाली और जंगलबेड़ा जांच चौकी एवं छिबर्रा (घाट) जांच चौकी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार बसना तहसील अंतर्गत कृषि उपज मंडी द्वारा तीन नवीन अंतर्राज्यीय जांच चौकी पलसापाली, केरामुडा/कुदारी बाहरा एवं साल्हेझरिया जांच चौकी, पिथौरा तहसील अंतर्गत तीन अंतर्राज्यीय जांच चौकी कटंगतराई वन विभाग द्वारा एवं दो नवीन जांच चौकी छोटेलोरम/लारीपुर और चरोदा कृषि उपज मंडी द्वारा स्थापित किया गया है। इसी तरह बागबाहरा तहसील अंतर्गत पांच अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी और नर्रा वन विभाग द्वारा एवं तीन नवीन जांच चौकी खेमड़ा, खट्टी और रेवा जांच चौकी कृषि उपज मंडी द्वारा स्थापित किया गया है।

सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायत पर हुई त्वरित कार्यवाई

❐ ग्राम पंचायत भरेंगांव सचिव को हटाया गया

❐ जनपद पंचायत कार्यालय राजनांदगांव में किया गया संलग्न

राजनांदगांव (आरएनएस)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत भरेंगांव में पदस्थ सचिव विनीता सिन्हा को जनपद पंचायत कार्यालय राजनांदगांव में संलग्न किया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सी-विजिल एप पर नितेश शर्मा ने ग्राम पंचायत भरेंगांव में पदस्थ सचिव विनीता सिन्हा द्वारा ग्रामीण आवास योजना के लिए गांव की एक अपात्र महिला अनुसूईया चन्द्राकर को योजना का लाभ दिये जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार किया जाएगा। इस शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव से कराई गई। सीईओ जनपद पंचायत राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत भरेंगांव की सचिव विनीता सिन्हा द्वारा अपात्र महिला अनुसुईया चन्द्राकर को ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया जाना तथा कार्य के प्रति उदासीनता बरतना पाया गया। शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर सीईओ जिला पंचायत अमित कुमार ने ग्राम पंचायत भरेंगांव सचिव विनीता सिन्हा को जनपद पंचायत कार्यालय राजनांदगांव में संलग्न कर दिया है। सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत पार्रीकला के सचिव एन प्रसाद शर्मा को ग्राम पंचायत भरेंगांव के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

विजय और ऐश्वर्य की दात्री हैं चांपा नगर की कुलदेवी मां समलेश्वरी

चांपा (आरएनएस)। कोसा, कांसा और कंचन की नगरी, चांपा के सोनार - देवांगन मुहल्ले में स्थित सिध्दिदात्री समलेश्वरी मंदिर में दिनांक 16 अक्टूबर से शारदेय नवरात्रि प्रारंभ हो गया हैं। नवरात्रि पर्व पर सबसे पहले पूजा चांपा जमींदारी के मुखिया एवं मां समलेश्वरी व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भिवेंद्र बहादुर सिंह तथा उनके सुपुत्र वीर युद्धवीर सिंह को हैं उनकी अगुवाई में दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को प्रातकाल 11-30 बजें घट स्थापना के साथ शारदेय नवरात्र का शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर? नैवेद्य अर्पित किया गया। इस अवसर पर आचार्य कृष्णा प्रसाद जी द्विवेदी एवम् आचार्य श्रद्धेय अतुल कृष्ण द्विवेदी ने मंत्रोच्चारण के समय समिति के पदाधिकारी, सदस्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे संबलपुर से देवी की मूर्ति को लाने के कारण समलेश्वरी देवी या समलाई दाई के नाम से इस शहर की पहचान बनी हुई हैं। लगभग 1700 ईसवी में चांपा जमींदारी की स्थापना नेमसिंह के हाथों हुई थी । कुंवर रामसिंह ने सन 1779-1843 में चांपा नगर को बसाया। इस तरह जमींदारी का इतिहास 250क्ष वर्ष प्राचीन हैं। कालान्तर में रतनपुर राज्य से अलग करके इस क्षेत्र को संबलपुर राज्य से मिला दिया गया। सन 1862 में चांपा के भूतपूर्व जमींदार नारायण सिंह ने समलेश्वरी की काले पत्थरों से निर्मित अत्यंत प्राचीन प्रतिमा संबलपुर से लाई और यहां एक छोटे से मंदिर में प्रतिस्थापित करवाई। धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाले शशिभूषण सोनी ने बताया कि इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शारदेय ? नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा हैं। मंदिर में विजय और ऐश्वर्य की दात्री हैं आदिशक्ति मां समलेश्वरी देवी मंदिर, चांपा में नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका हैं। आस्था के दीप राजपरिवार के प्रमुख कुंवर भीवेद्र बहादुर सिंह तथा उनके सुपुत्र आर्यवीर सिंह ने सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलित कर पूजा-अर्चना किया हैं। मंदिर में 300 ज्वारा कलश के साथ लगभग 2000 ज्योति कलश प्रज्जवलित किया गया हैं। उन्होनें बताया कि किंवदंती यह भी हैं कि इस मूर्ति के स्थान पर पहले काष्ठ मूर्ति मंदिर में बैठाई गई थी। जमींदार रामसिंह के पिताश्री दीवान नारायण सिंह ने अपने शासनकाल में उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले से काले पत्थर की मूर्ति स्थापित एवं प्राण-प्रतिष्ठा की तब से आज तक अनवरत रुप से यहां पूजा-अर्चना निरंतर चल रहा हैं।

संबलपुर से मूर्ति लाने के कारण देवी की मूर्ति को समलेश्वरी देवी के नाम से मान्यता दी गई हैं। सोने-चांदी के आभूषणों में कलाकृति करने वाले वयोवृद्ध शिल्पी सराफा कारोबारी एवं निराला साहित्य मंडल, चांपा के अध्यक्ष रहें स्वर्गीय मोहित राम सराफ जी ने जनसहयोग से मंदिर को चांदी का शयनयान एवं मुकुट बनाकर अर्पण किया हैं आदिशक्ति मां समलेश्वरी आप इस पूरे भारतवर्ष की रक्षा करना। लोगों को दीर्घायु जीवन प्रदान करना एवं आप अपने सभी भक्तों को मनोवांछित फल देना। समलेश्वरी देवी का दर्शन करने से सारे दु:ख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं, यही कारण हैं कि शुभ मांगलिक कार्य करने के पूर्व और पश्चात् लोग समलेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन-पूजन और आशिर्वाद प्राप्त करने अवश्य आते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ताकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU